(45)

संचिका संख्याः—4/निदे0 आ0वि (जीविका)—06—05/2021—**4687**

बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग

संकल्प

दिनांकः— 13/09/2023

विषयः— **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित सभी आवासीय विद्यालयों के छात्र—छात्राओं को आवासन की अवधि में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ—सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई की सेवा का कार्य संशोधित दर पर बिहार वित्त नियमावली, 2005 के नियम 131ज्ञ(ड़) के आलोक में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से किये जाने एवं व्यय की स्वीकृति।**

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों से आनेवाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को चयनित कर उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में प्रयास कर उन्हें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से सबल और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य में 87 आवासीय विद्यालय संचालित हैं तथा राज्य सरकार के द्वारा नये आवासीय विद्यालयों की स्वीकृति दी गयी है।

विभागीय पत्रांक—1631 दिनांक—27.08.2020 द्वारा विभाग के अन्तर्गत संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के आवासियों की दैनिक आवश्यकताओं एवं संस्थान के रख—रखाव हेतु आवश्यक सामग्रियों के प्रावधानों एवं दर की स्वीकृति दी गई है।

उक्त के क्रम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पटना, शेखपुरा, बेगूसराय, प0 चम्पारण और सहरसा जिला में संचालित 14 आवासीय विद्यालयों में **''दीदी की रसोई''** के माध्यम से विद्यार्थियों को शुद्ध, स्वादिष्ट, पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन (जलपान सहित) उपलब्ध कराया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के उपरान्त मेस संचालन के सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हुए है एवं **''दीदी की रसोई''** से जुड़ी महिलाओं का मनोबल बढ रहा है।

2. सभी आवासीय विद्यालयों में बेहतर एवं सुदृढ़ सेवा प्रदान करने तथा आवश्यक सुविधाओं को उत्तम बनाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के छात्र—छात्राओं को आवासन की अवधि में मेस संचालन(जलपान सहित) की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ—सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई की सेवा का कार्य बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से निम्नांकित शर्त्तों पर कराये जाने का निर्णय लिया गया हैः—

(i) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित सभी आवासीय विद्यालयों के छात्र—छात्राओं को आवासन की अवधि में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की

साफ–सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई की सेवा का कार्य संशोधित दर पर बिहार वित्त नियमावली, 2005 के नियम 131झ(ड़) के आलोक में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से किये जाने एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) संचालित सभी आवासीय विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को आवासन की अवधि में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ–सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई की सेवा का कार्य के लिए बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के साथ अनुबंध किया जायेगा।

(iii) बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के पत्रांक–5396 दिनांक–03.01.2023 द्वारा प्राप्त समझौता ज्ञापन (M.o.U) के अनुसार विभागीय दर निर्धारण समिति द्वारा भोजन (जलपान सहित) ₹99/–(निन्यानवे रू0) प्रति विद्यार्थी प्रति दिन की निर्धारित दर पर मेस संचालन की स्वीकृति दी जाती है।

अतएव इस योजना के क्रियान्वयन में अनुमानित अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार ₹22,91,40,000/- (बाईस करोड़ इक्यानवे लाख चालीस हजार रूपये) मात्र संभावित होगा।

(परिशिष्ट–1 एवं संलग्न मेनू)

(iv) **आवासीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति –**

(क) बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन द्वारा आवासीय विद्यालय में आवासीत छात्र–छात्राओं के लिए पोशाक आपूर्ति की जाएगी। विभागीय दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित निम्नांकित दर पर पोशाक प्रति 2(दो) सेट प्रति विद्यार्थी आपूर्ति की जाएगी:–

क्रमांक	मद	कक्षा (1 से 8)	कक्षा (9 से 12)
1	बालक	₹900 प्रति विद्यार्थी	₹1350 प्रति विद्यार्थी
2	बालिका	₹1150 प्रति विद्यार्थी	₹1400 प्रति विद्यार्थी

प्रत्येक बालक एवं बालिका को 4 सेट पोशाक देय होगा। बालक एवं बालिकाओं के पोशाक विभाग द्वारा निर्धारित किये गये उपयुक्त वस्त्र एवं रंग शामिल होगा।

अतएव इस योजना के क्रियान्वयन में अनुमानित वार्षिक व्यय भार ₹7,39,12,000/-(सात करोड़ उन्चालीस लाख बारह हजार रुपये) मात्र संभावित होगा।

(ख) पोशाक की जीविका से अधिप्राप्ति एवं वितरण, संचालित आवासीय विद्यालयों से प्राप्त "इण्डेन्ट" के आधार पर, संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(ग) पोशाक के क्रय हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पत्रांक–1631 दिनांक–27.08.2020 द्वारा तेल, साबुन, सर्फ, दवा वस्त्र हेतु DBT के लिए निर्धारित दर ₹7500/–(सात हजार पाँच सौ रूपया) प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष में से पोशाक की राशि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति को विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, जो माँग एवं आपूर्त्ति किये जाने के आधार पर केन्द्रीकृत भुगतान, जीविका संपोषित सामुदायिक संगठन को करेंगे तथा अवशेष अन्तर राशि निम्न प्रकार से विद्यार्थियों को DBT किया जाएगा:–

क्रमांक	मद	कक्षा (1 से 8)		कक्षा (9 से 12)	
		पोशाक की राशि (4 सेट)	DBT की राशि	पोशाक की राशि (4 सेट)	DBT की राशि
1	बालक	₹1800 प्रति विद्यार्थी	₹5700 प्रति विद्यार्थी	₹2700 प्रति विद्यार्थी	₹4800 प्रति विद्यार्थी
2	बालिका	₹2300 प्रति विद्यार्थी	₹5200 प्रति विद्यार्थी	₹2800 प्रति विद्यार्थी	₹4700 प्रति विद्यार्थी

(iv) **पोशाक की धुलाई की सेवा एवं विद्यालय भवनों एवं परिसर की साफ–सफाई –**

(क) पोशाक की धुलाई में विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त वस्त्र, चादर (तकिया–गिलाफ सहित), पोशाक, अन्य सभी वस्त्रों की सफाई निस्संक्रामक(Disinfected), ब्लीचिंग (आवश्यकतानुसार) एवं सुखाना शामिल होगा। विभागीय दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दर ₹30/–(तीस मात्र रू0) प्रति किलोग्राम (Consumables सहित) का दर अनुमान्य होगा। इसके लिए एक सप्ताह में एक बार चार सेट पोशाक एवं एक चादर (तकिया–गिलाफ सहिंत) अधिकतम अनुमान्य होगा।

अतएव इस योजना के क्रियान्वयन में अनुमानित वार्षिक व्यय भार ₹8,20,80,000/- (आठ करोड़ बीस लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र संभावित होगा।

(ख) विद्यालयों के साफ–सफाई में विद्यालय के सभी भवन एवं पूरा परिसर (टॉयलेट/प्रसाधन सहित) शामिल होगा। विभागीय दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दर ₹11/– प्रति विद्यार्थी प्रति दिन अनुमान्य होगा।

अतएव इस योजना के क्रियान्वयन में अनुमानित वार्षिक व्यय भार ₹13,73,13,000/- (तेरह करोड तिहत्तर लाख तेरह हजार रुपये) मात्र संभावित होगा।

(v) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा सेवाओं के विरूद्ध राशि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) को उपलब्ध करायी जाएगी।

(vi) भोजन(जलपान सहित), पोशाक आपूर्ति, विद्यालय भवनों एवं परिसर की साफ–सफाई तथा पोशाक धुलाई पर होने वाले व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय तथा राज्य स्कीम अन्तर्गत सुसंगत विषय शीर्ष यथा–सामग्री एवं पूर्तियां मद तथा व्यावसायिक/संविदा सेवायें मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(vii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में उपरोक्त सेवाओं का कार्य मूल्यांकन संतोषजनक रहने पर मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए 5 (पाँच) प्रतिशत वार्षिक मूल्य वृद्धि की जायेगी एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा सेवाओं के विरूद्ध आवश्यकतानुसार अग्रिम राशि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) को उपलब्ध करायी जाएगी।

(viii) जीविका द्वारा सभी आवासीय विद्यालय के भवनों एवं परिसर की साफ–सफाई को साफ–सफाई की सेवाएँ अनिवार्य रूप से सप्ताह के सातों दिन चक्रीय रूप से 24X7 उपलब्ध कराई जायेगी। पोशाक की धुलाई की सेवाएँ भी आवश्यकतानुसार निर्बाध रखने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी जीविका की होगी ।

(ix) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग एवं बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के द्वारा इस व्यवस्था का सतत् अनुश्रवण तथा मूल्यांकन किया जाएगा। जीविका के माध्यम से इन सेवाओं को प्राप्त किये जाने एवं जीविका द्वारा किये जा रहे कार्यो के मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण तथा आवश्यक मार्गदर्शिका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा निर्गत किया जा सकेगा।

(x) प्रथमतः अनुबंध तीन वर्षों के लिए किया जायेगा। इस अवधि में विभाग द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का सतत् अनुश्रवण, कार्य की गुणवत्ता एवं परिणाम का मूल्यांकन कराया जायेगा। प्राप्त सेवाएँ मानक स्तर की पाये जाने पर अवधि विस्तार, विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

(xi) उक्त कार्यों के लिए आवश्यक स्थान/कमरा (बिजली, पानी तथा प्रसाधन की व्यवस्था सहित) जीविका को संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा विद्यालय परिसर में उपलब्ध कराया जायेगा।

3– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की स्वीकृति संख्या–1631 दिनांक–27.08.2020 की परिशिष्ट–I की क्रम संख्या 1, 2 एवं 10 तथा परिशिष्ट–III की क्रम संख्या 1, 2 एवं 8 को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।

4. यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को "बिहार राजपत्र" के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–

(दिवेश सेहरा)
सरकार के सचिव।

(51)

ज्ञापांक–4/निदे0 आ0वि (जीविका)–06–05/2021–**4687 पटना, दिनांक–13/09/2023**

प्रतिलिपि–अवर सचिव, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की दो हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग प्रेस, .पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/विकास आयुक्त के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति(जीविका),पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उपविकास आयुक्त, बिहार/सभी प्रमण्डलीय उपनिदेशक कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7. माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 3डी0, 4डी0, 7डी0. तथा 8डी0 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8. आई0 टी0 मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईठ पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई0–मेल के माध्यम से सूचित करने के निदेश के साथ प्रेषित।

13/09/23

सरकार के सचिव।